(To be substituted bearing same No.

प्रेषक

महानिदेशक उच्चतर शिक्षा, हरियाणा,
शिक्षा सदन, सैक्टर–5, पंचकूला ।

सेवा में

रजिस्ट्रार,
1. कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र।
2. महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक।
3. भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुरकलां, सोनीपत।
4. चौ0 देवी लाल विश्वविद्यालय, सिरसा।
5. चौ0 बंसीलाल विश्वविद्यालय, भिवानी
6. चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, जीन्द।
7. इन्दिरा गांधी विशविद्यालय, मीरपुर (रेवाड़ी)।
8. केन्द्रीय विश्वविद्यालय नारनौल (महेन्द्रगढ़)।
9. वाई0एम0सी0ए0, फरीदाबाद।
10. चौ0 चरणसिंह कृषि विश्वविद्यालय, हिसार।
11. हरियाणा राज्य के सभी प्राईवेट विश्वविद्यालय।
12. अराजकीय अनुदान प्राप्त, स्वपोषित डिग्री महाविद्यालयों एवं राजकीय शिक्षण महाविद्यालयों के प्राचार्य।

यादि क्रमांकः 3/89–2017 छा0(2)
दिनांक, पंचकूला

विषयः **Submission of On Line Application for Post Matric ScholarshipScheme for SC/ST and OBC Students for the Academic Session 2017-18**

उपरोक्त विषय पर इस विभाग के पत्र कमांक 3/89–2017 छा0(2), दिनांक 28.8.2017, 03.10.2017, 29.11.2017, 08.12.2017 तथा 13.12.2017 की निरन्तरता में ।

जैसा कि आपको पहले ही सूचित किया गया है कि भारत सरकार के निर्देशानुसार S.C. छात्रों से फीस/फण्डस (संबंधित विश्वविद्यालय से अनुमोदित फीस स्ट्रक्चर अनुसार) नहीं लिये जाने है। फीस/फण्डस सम्बन्धित संस्थान Post Matric Scholarship Scheme for S.C. Students के अन्तर्गत क्लेम करेगें। अपने कालेज के S.C. छात्रों का क्लेम भेजते हुए सभी शिक्षा संस्थान एक प्रमाण पत्र भी देगें कि उन्होंने S.C. छात्रो से फीस/फण्डस नहीं लिए है तब मैनेजमेंट शेयर की राशि संस्थान के बैंक खाता में डाल दी जायेगी ।

परन्तु विभाग के ध्यान में लाया गया है कि अभी भी कुछ महाविद्यालयों द्वारा इन निर्देशों की दृढ़ता से पालना नहीं की जा रही है तथा महाविद्यालयों द्वारा अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों से फीस/फण्डस लिए जा रहे हैं। अतः इस संबंध में आपको पुनः निर्देश जारी किये जाते हैं कि यदि आप द्वारा अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों से फीस/फण्डस लिए हैं, तो तुरन्त उन्हें वापिस करें तथा छात्रों के आवेदन वैरिफाई करके तथा अवार्ड रोल तैयार करके तत्काल मैनेजमेंट शेयर के भुगतान हेतु निदेशालय में प्रस्तुत करें ताकि समय पर भुगतान किया जा सके।

उप निदेशक छात्रवृति,
कृते महानिदेशक उच्चतर शिक्षा,
हरियाणा, पंचकूला

MAHARSHI DAYANAND UNIVERSITY, ROHTAK
ACADEMIC BRANCH

Endst.No. AC-5/2017/F-9/ 28814-29263 Dated: 20/12/17

Copy of the overleaf Govt. letter no.3/89-2017 Sch.(2) overleaf is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All the Heads/Directors, University Teaching Departments/Institutes, M.D. University, Rohtak.
2. The Director, University Institute of Law & Management Studies, Sector-40, Gurgaon.
3. All the Principal of colleges affiliated to M.D. University, Rohtak.
4. Finance Officer, M.D. University, Rohtak.
5. The Director, Computer Centre, M.D. University, Rohtak with the request to upload the letter on University Website.
6. Liaison Officer, SC/ST/BC Cell, M.D.University, Rohtak.
7. The Assistant Registrar (R&S),M.D. University, Rohtak.
8. The AC-I and AC-VI set of Academic Branch, M.D. University, Rohtak.

Assistant Registrar (Academic)